छत्तीसगढ़ भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा)

शास्त्री चौक, रायपुर (छ0ग0) – 492001

दूरभाष नंबर :– 0771-4918927

Email:- office.rera.cg@gov.in Website :https://rera.cgstate.gov.in/

क्रमांक– 118/रेरा/2025/429 रायपुर, दिनाँक 02/06/2025

//परिपत्र//

विषयः– प्रकाशित विज्ञापनों आदि में रेरा पंजीयन क्रमांक एवं वेबसाईट पते का उल्लेख करने के संबंध में निर्देश एवं स्पष्टीकरण।

संदर्भः– 1. परिपत्र क्र. 21/रेरा/2018/675 रायपुर, दिनाँक 03/11/2018

2. परिपत्र क्र. 84/रेरा/2023/889 रायपुर, दिनाँक 05/07/2023

––––––00––––––

छत्तीसगढ़ भू–सम्पदा (विनियामक और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 11 (2) के अनुसार प्रमोटर्स द्वारा जारी/प्रकाशित विज्ञापनों या प्रास्पेक्ट्स आदि से संबंधित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के **रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर व छत्तीसगढ़ रेरा के वेबसाईट पते** का प्रमुखता से उल्लेख किए जाने का प्रावधान है। इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा संदर्भित परिपत्र के माध्यम से पूर्व में निर्देश जारी किये गये थे। प्राधिकरण के संज्ञान में यह तथ्य प्राप्त हुए है कि कतिपय प्रमोटर्स द्वारा उक्त प्रावधानों के समुचित रीति से पालन में निरंतर चूक की जा रही है। अतः उपरोक्त प्रावधानों के संबंध में प्रमोटर्स व रियल स्टेट एजेंट्स का ध्यान आकर्षित करते हुए एवं आबंटिती के हितों के संरक्षण हेतु अधिनियम की धारा–37 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर प्राधिकरण द्वारा निम्नानुसार अतिरिक्त निर्देश जारी किए जाते हैं :–

1. विज्ञापनों आदि में उल्लेखित रेरा पंजीयन क्रमांक एवं रेरा वेबपोर्टल पते का उल्लेख विज्ञापनों में उल्लेखित प्रमोटर के मोबाईल नंबर एवं पते के समान करना होगा। अर्थात् font का प्रकार एवं size एक समान रखना होगा अगर विज्ञापन में उल्लेखित प्रमोटर का पता एवं संपर्क किये जाने वाले जानकारी के font प्रकार एवं size में भिन्नता है उस स्थिति में जिस जानकारी के उल्लेख में font प्रकार एवं size में सबसे बड़े प्रारूप का उपयोग किया गया हो उसका उपयोग रेरा पंजीयन क्रमांक एवं रेरा वेबपोर्टल का पता उल्लेख हेतु करना अनिवार्य होगा।

2. रेरा वेबपोर्टल एवं पंजीयन नंबर का उल्लेख विज्ञापन में ऐसे जगह पर करना अनिवार्य होगा जिसे आसानी से पढ़ा एवं देखा जा सकें। जिससे रियल स्टेट सेक्टर में पारदर्शिता का उद्देश्य प्राप्त किया जा सके एवं आबंटितीयों को सही जानकारी मिल सके।

3. विज्ञापन के प्रत्येक पृष्ठ पर रेरा पंजीयन क्रमांक एवं रेरा वेबपोर्टल पते का उल्लेख उपरोक्त निर्धारित निर्देशों के अनुरूप ही करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक विज्ञापन के मुख्य पृष्ठ पर विज्ञापन जारी करने वाले का नाम, मोबाईल नम्बर, पता एवं जारी किये गये विज्ञापन की प्रति की कुल संख्या का उल्लेख करना अनिवार्य होगा।

4. विज्ञापन के प्रत्येक पृष्ठ पर रेरा द्वारा जारी किये गये QR Code का भी उल्लेख करना होगा। QR Code का उल्लेख ऐसे जगह पर करना अनिवार्य होगा जिसे स्पष्ट देखा जा सके एवं संबंधित एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से Scan किया जा सके।

5. उपरोक्त दिशा निर्देश प्रमोटर्स एवं एजेण्ट्स हेतु सभी प्रकार के विज्ञापन डिजीटल विज्ञापन, प्रिंट विज्ञापन (ब्रोशर, प्रास्पेक्टस, पॉम्पलेट एवं आदि) एवं संबंधित अन्य विज्ञापन हेतु लागू होगें।

6. अन्य संदर्भित परिपत्र के माध्यम से जारी किये गये निर्देश यथावत् रहेंगे।

उपरोक्त निर्देश परिपत्र जारी होने के तत्काल प्रभाव से लागू होंगे एवं निर्देशों का पालन नहीं करने कि स्थिति में प्राधिकरण द्वारा कठोर कार्यवाही की जावेंगी एवं नियमानुसार शास्ति अधिरोपित किया जायेगा।

(माननीय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित)

02/08/22

(आस्था राजपूत)
रजिस्ट्रार
छत्तीसगढ़ भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण
रायपुर (छ.ग.)